

26/11/19

कमील इजाजतिले हाजेप रजपराक  
दावे। अद्य जूनी मधी पत्रावली  
काडवलेक किला। येके राहता मोग  
के संबंध मे की जमी (सामवाही न्यायाल  
के जगत उपठ गरी हुआ वी तव्या उकरक अ  
विधिवत धारा 25(1) सिआ के तहत जमुत  
करी किला गवा वी इजाजतिले द्वारा

(राजेन्द्र सिंह)  
उप खण्ड अधिकारी (राजस्व)  
रायसिंहनगर

दे.०.

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम, जो इस  
हुक्म की तामील  
में जारी हुए

शिक्षा स्वीकृति पर एलएन भी  
उत्तुत किये गये थे। ऐसी स्थिति  
में एन फु स्वीकार किया जाना उचित  
जानी नहीं होता है।

लिखित आवेदन - फु आवेदन  
में और जे किसी प्रकार के उपस्थित  
नहीं करने के कारण अपन दस्तावेज  
अपन पैरवी में सादर किया जाता  
है। फावली केसल में शुभकर  
दीकल दाखिल होता है।

(राजेन्द्र सिंह)

उप खण्ड अधिकारी (राजस्व)  
रायसिंहनगर

